मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

आदेश

दिनांक: 27/04/2026

क्रमांक एफ 07-38/2019/आ.प्र./एक: मध्यप्रदेश राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने संबंधी निर्णय को चुनौती से संबंधित प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने से संबंधित विचाराधीन याचिका क्रमांक **TRANSFERRED CASE (C) NO.** 7/2025 एवं अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश दिनांक 19 फरवरी 2026 के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में राज्य शासन का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाता है : -

1. **श्री तुषार मेहता**, सॉलिसिटर जनरल
2. **श्री के. एम. नटराज**, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल
3. **श्री प्रशांत सिंह**, महाधिवक्ता
4. महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारी

उपरोक्त अधिवक्ताओं में से श्री प्रशांत सिंह, महाधिवक्ता एवं महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारी को छोड़कर, अन्य के लिए उपस्थिति (Appearance) की फीस एवं अन्य शर्तें पृथक से जारी की जा रही हैं।

इस संबंध में विभाग के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने संबंधी निर्णय को चुनौती दिए जाने के संबंध में प्रचलित प्रकरणों में समय-समय पर नियुक्त किए गए अधिवक्ताओं के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश जारी किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

Digitally signed by
Sachindra Rao
Date: 27-04-2026
23:49:58

(सचिन्द्र राव)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 7-38/2019/आ.प्र./एक,
प्रतिलिपि:

भोपाल, दिनांक: 27/04/2026

1. महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर।
2. प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. श्री तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, नई दिल्ली।
5. श्री के. एम. नटराज, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, नई दिल्ली।
6. श्री प्रशांत सिंह, महाधिवक्ता, जबलपुर, मध्य प्रदेश।
7. विधि अधिकारी, महाविधवक्ता कार्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
8. सुश्री कविता बाटला, संयुक्त आयुक्त, लिटिगेशन एवं प्रभारी अधिकारी, जबलपुर।
9. संयुक्त आयुक्त, (लिटिगेशन एवं समन्वय), कार्यालय संयुक्त आयुक्त, जबलपुर।
10. मुख्य लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
11. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग